

फर्द अहकाम

30/5/21

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

अज अदालत

बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

शंकरलाल

बनाम

श्री (13/1/21)

किस्म मुकद्दमा

128 RLA Act

नं.

1/21

सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/5/21	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>डेहल</u>.....</p> <p>ग्राम.....<u>डेहल</u>.....की</p> <p>आ.न.....<u>205</u>.....की</p> <p>विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे।</p> <p>प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये.....<u>700/-</u>..... वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।</p> <p>पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>जय</u> उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p>	

